राजस्व लोक अदालत–2017 केम्प कोर्ट बनेडा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर R.A.S.

प्रकरण संख्या : 3/2017 राजस्व अपील

उनवान

1. सत्यनारायण पिता रामचन्द्र बारी निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
—— अपीलार्थी

बनाम

1 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2 रमेश पिता रामचन्द्र बारी निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 ओमप्रकाश पिता रामचन्द्र बारी निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 यशोदा पुत्री रामचन्द्र बारी निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
5 नोरती ध0प0 रामचन्द्र बारी निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
6 ग्राम पंचायत बालेसरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच
——रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. संख्या 3011 आदेश दिनांक 20–04–2012 ग्राम पंचायत बनेडा

उपस्थित –
1. अपीलार्थी स्वंय उपस्थित

निर्णय

दिनांक – 30.06.2017

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम बनेडा, पटवार मण्डल बनेडा स्थित खतौनी संख्या 956 के आराजी संख्या 517, 534, 535, 536, 537 कुल किया 05 कुल रकबा 12–06 बीघा स्थित है जिसमें अपीलार्थी एंव प्रत्यर्थीगण संख्या 02 से 05 आराजीयात में 1/3 हिस्सा दर्ज होकर कब्जे काश्त चली आ रही है। अपीलार्थी एंव प्रत्यर्थीगण के दादा का नाम मोतीलाल बारी थी एंव पिता का नाम रामचन्द्र बारी था। अपीलार्थी एंव प्रत्यर्थीगण के पिता की मृत्यूपरान्त ग्राम पंयायत बनेडा द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 3011 दिनांक 20.04.2012 में अपीलार्थी एंव प्रत्यर्थीगण के पिता रामचन्द्र की स्थान पर मोतीलाल त्रूटीपूर्ण दर्ज कर नामान्तकरण फैसल करवा लिया। जो कि विधि विरूद्ध होकर नामान्तकरण अपास्त योग्य है।

उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को 23.02.2017 को हुई तथा उनके द्वारा नकल लेकर विहीत समयावधि में अपील पेश की है। विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा.पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ। जिसका कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी/प्रार्थीगण का प्रा. पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्बित अवधि क्षम्य की जाती है।

प्रकरण का मेरिट्स पर परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया गया तथा उपस्थित पक्षकरान को सुना गया। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जो सजरा प्रमाणित किया है उसमें अपीलार्थी को मृतक पिता रामचन्द्र बारी के वारिस होना बता रखा है किन्तु प्रविष्टि काश्तकार में अपीलार्थी एंव प्रत्यर्थीगण के पिता रामचन्द्र बारी के नाम के स्थान पर दादा मोतीलाल बारी के विधिक वारिसान अंकित होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी एंव प्रत्यर्थीगण मृतक दादा मोतीलाल के बजाय पिता रामचन्द्र बारी के प्रथमश्रैणी वारिसान होकर अपीलाधीन नामान्तरण में अपना नाम बतौर वारिस जुड़वाने के अधिकारी है। हम अपीलार्थीपक्ष के इस तर्क से सहमत है कि अपीलाधीन न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एंव प्रत्यर्थीगण के पिता रामचन्द्र के स्थान पर दादा श्री मोतीलाल का नाम त्रूटीपूर्ण भूलवश